Dr. Kailash Nath Singh, Department of B.ED (Education), YBN University , Ranchi

TEACHING MATERIAL ON

Education

(Department of B.ED)

Dr. Kailash Nath Singh, Department of B.ED (Education), YBN University , Ranchi

YBN college for Teacher Education.

डॉ0 कैलाश नाथ सिंह
Dr. Kailash Nath singh.
पाठ्य क्रम में भाषा (C-04)

(Language Across the Curriculum)

Unit - I - भाषाई-नीति
Language Policies

PAGE NO.:
DATE: / /

त्रिभाषा - सूत्र Three Language formula.

त्रिभाषा सूत्र भारत में शिक्षा नीति का एक महत्व पूर्ण हिस्सा है। जिसका उद्देश्य छात्रों को तीन भाषा में पारंगत बनाना है। यह सूत्र 1968 में शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और इसके मुख्य बिन्दु है।

(i) मातृभाषा (MOTHER टंग): छात्रों को अपनी मातृ भाषा में शिक्षा दी जायगी, जिससे वे अपनी संस्कृति और परम्पराओ से जुड़े रहे।

(ii) राज्य भाषा / क्षेत्रिय भाषा। - छात्रों को राज्य भाषा व क्षेत्रिय भाषा में शिक्षा दी जायेगी। जिससे व अपनी राज्य भाषा व क्षेत्र की भाषा व संस्कृति से परिचित हो।

(iii) अंग्रेजी / हिन्दी / अन्य भाषा: - छात्रो को अंग्रेजी, हिन्दी या कोई अन्य भाषा में शिक्षा दी जायेगी। जिससे वे राष्ट्रीय व अर्न्त राष्ट्रीय स्तर पर संवाद कर सके।

विद्वानो के अनुसार त्रिभाषा सूत्र की परिभाषा

त्रिभाषा सूत्र एक शिक्षा निति है। जिसका उद्देश्य भारत में भाषाई विविधता को बढ़ावा देना और छात्रों को तीन भाषाओ में पारंगत बनाना है। यह सूत्र छात्रों को अपनी मातृभाषा, राज्य भाषा / क्षेत्रिय भाषा और अंग्रेजी / हिन्दी / अन्य भाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है।

(i) डॉ० धिरेन्द्र वर्मा शिक्षाविद —

त्रिभाषा सूत्र एक महत्वपूर्ण शिक्षा नीति है। जो भारत में भाषाई विविधता को बढ़ावा देती है। और छात्रों को राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर संवाद देने के लिए बढ़ावा देती है।

(ii) डॉ० जे. एस. राजपूत शिक्षाविद —

त्रिभाषा सूत्र एक शक्तिशाली उपकरण है। जो भारत में भाषाई एकता व विविधता को बढ़ावा देती है। यह सूत्र छात्रों को अपनी मातृभाषा, राज्य भाषा, और अंग्रेजी हिन्दी में पारंगत बनाने में मदद करता है।

(iii) डॉ० कृष्ण कुमार शिक्षा विद -

इन विद्वानों के अनुसार, त्रिभाषा सूत्र एक महत्वपूर्ण शिक्षा नीति है। जो भारत में भाषाई विविधता को बढ़ावा देती और छात्रों को राष्ट्रीय और अन्तर राष्ट्रीय स्तर पर संवाद करने के लिए तैयार करती है।

प्राथमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र —

त्रिभाषा सूत्र का सम्बन्ध प्राथमिक विद्यालयों से नहीं है। प्राथमिक स्तर पर सन् 1947 के पहले से ही मातृभाषा को माध्यम के रूप में अपना लिया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस ने भी अपने फैजपुरा अधिवेशन में भी सन् सन् 1932 में ही डॉ० जाकिर हुसैन समिति की लगभग सभी सभी संस्तुतियों को मानते हुए - मातृभाषा के स्थान को प्राथमिक स्तर पर स्वीकृति कर लिया अतः प्राथमिक शिक्षा का त्रिभाषा सूत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है।

उच्च शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र

उच्च शिक्षा में भाषा-समस्या का प्रश्न भाषाओं की संख्या से सम्बन्धित नहीं है। यहाँ प्रश्न शिक्षा के माध्यम का है। डॉ० भारतीय भाषाओं के माध्यम की सुविधा का प्रश्न मात्र है। 1857 में सर्वप्रथम हमारे देश में उनमें किसी भी भारतीय भाषा पर उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में विचार तक नहीं हुआ था।

सन् 1917 में सैडलर की अध्यक्षता में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ था। जिसमें सन् 1919 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसमें सिफारिश किया गया था कि भारतीय भाषाओं के लिए रीडर पद होना चाहिए। इसके बाद 1922 से 1937 के बीच अधिकांश विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं का उच्च वैकल्पिक रूप में अध्ययन होने लगा था। पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाएं विद्यमान थी किन्तु शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही बनी रही

स्वतन्त्र भारत में उच्च शिक्षा के सुधार के लिए डा० राधा कृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ

जिसने अगस्त 1949 में अपना आवेदन प्रस्तुत किया. राधाकृष्णन आयोग ने पहली बार मातृ भाषा की संभावना पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला की उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। किन्तु कुछ समय तक अंग्रेजी को काम में लाया जाय. यह कुछ समय ही झगड़े की जड़ थी. 1947 से कुछ समय डीग बीस वर्ष बाद सन 1967 में जब केन्द्रिय शिक्षा मन्त्री डॉ० त्रिगुण सेन ने विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को शीघ्रातशीघ्र प्रतिष्ठीत करने का संकल्प लिया तो अंग्रेजी के समर्थकों ने पुन: कुछ समय और प्राप्त करने का संकल्प लिया और केन्द्रिय शासन को अपने एक सुयोग्य मंत्री के त्यागपत्र का सामना करना पड़ा।

विश्व विद्यालयों में भारतीय भाषाओं में उच्चतम अध्ययन तक की तो सुविधा तो प्राप्त है। किन्तु कुछ में माध्यम के रूप में अंग्रेजी ही चल रही है। शनै: शनै: विश्वविद्यालय भाषा के सम्बन्ध में निर्णय ले रहे हैं और आशा है कि निश्चय ही कुछ समय में मातृ भाषाएं शिक्षा का माध्यम हो गयी। अत: त्रिभाषा का सम्बन्ध उच्च शिक्षा से नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र

त्रिभाषा सूत्र माध्यमीक शिक्षा के सन्दर्भ में ही सामने आता है। माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित रहा और सन 1921 से पहले बहुत कम स्कूलों में मातृभाषा माध्यम बन सकीं थी, किन्तु उसके बाद 1947 के पूर्व ही माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सभी जगह से हटा दिया था।

त्रिभाषा सूत्र की उत्पत्ति —

1947 ई० में भारतवर्ष स्वाधीन हुआ माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु ताराचन्द्र समिति की स्थापना हुई।

1- ताराचन्द समिति —

माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु इस समिति की नियुक्ती की गयी। डॉ० ताराचन्द की अध्यक्षता में (1948) में इस समिति का गठन हुआ इसकी प्रमुख संस्तुतियाँ इस प्रकार थी। —

1- सीनियर बेसिक शिक्षा 6 से 8 मातृभाषा के अतिरिक्त एक वर्ष तक अंग्रेजी को अनिवार्य करने की संस्तुति की।
2- माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 10 तक मातृभाषा के अतिरिक्त कुछ समय की अंग्रेजी को अनिवार्य करने की संस्तुति की।
3- अंग्रेजी को हट जाने पर संघीय भाषा को अनिवार्य करने की संस्तुति की। इस समय तक भारतीय संविधान नहीं बना था इस लिए इन संस्तुतियों को वैधानिक रूप नहीं मिल सका। इस लिए अंग्रेजी शिक्षा भाषा में अपना स्थान बनाये रख सकी।

2- मुदालियर शिक्षा आयोग (1952)

स्वतन्त्रता के बाद 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' की स्थापना की गयी और भाषा के सम्बन्ध में प्रमुख सुझाव दिये गये।

(1) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो।
(2) पूर्व माध्यमिक स्तर पर कम से कम दो भाषाओं की शिक्षा दी जाय। मातृभाषा से शिक्षा आरम्भ किया जाय और पूर्व माध्यमिक स्तर से अंग्रेजी भाषा का शिक्षण किया जाय।
(3) उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 11 पर दो भाषाओं की शिक्षा दिया जाय जिनमें एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो

मुदालियर आयोग की संस्तुति के अनुसार माध्यमिक स्तर पर दो ही भाषाएं रखी गयी थी।
(अ) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा तथा
(ब) निम्नांकित में से कोई एक भाषा
(i) हिन्दी अहिन्दी भाषा-क्षेत्रों के लिए।
(ii) हिन्दी अहिन्दी भाषा-क्षेत्रों के लिए।
(iii) प्रारम्भिक अंग्रेजी न होने से मिडिल में अंग्रेजी नहीं पढ़ी है।
(iv) उच्च अंग्रेजी पहले अंग्रेजी पढ़ी हो।
(v) हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषा की शिक्षण।
(vi) अंग्रेजी के अतिरिक्त एक विदेशी भाषा।
(vii) प्राचीन सांस्कृतिक भाषा

3- कोठारी आयोग (1964-66) —

कोठारी आयोग भाषा के सम्बन्ध में निम्नांकित संस्तुतियाँ की थी।
कोठारी आयोग ने (त्रिभाषी सूत्र) का संशोधन किया।
इस आयोग ने भी माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं को अनिवार्य करने की संस्तुति की जिसमें अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता को बनाये रखा। तीन भाषाओं की शिक्षा का रूप इस प्रकार रखा गया।

(1) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा दी जाय।
(2) केन्द्र की राजभाषा या सह-भाषा की शिक्षा दी जाय।
(3) एक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा जिसे (अ) या (ब) में न रखा गया और शिक्षा के माध्यम से भिन्न हो।

4- त्रिभाषी सूत्र —

माध्यमिक आयोग की सुझाव से भाषा शिक्षा की समस्या का समाधान नहीं हो सका। भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया गया। और अंग्रेजी को चलते रहने की बात संविधान ने मान ली थी। अतः अंग्रेजी की शिक्षा की प्रमुखता कम नहीं हुई।
'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल' ने 1956 में त्रिभाषी सूत्र के रूप में भाषा शिक्षा समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। सन् 1957 में इस सूत्र को भारत सरकार ने स्वीकृति दी सन् 1961 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में त्रिभाषा सूत्र की पुष्टि भी कर दी गयी। इस सूत्र के अनुसार प्रत्येक भारतीय बालक को तीन भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य है।

(i) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा
(ii) अंग्रेजी भाषा तथा
(iii) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी की शिक्षा दी जाय।
इसके स्थान पर हिन्दी भाषा के बालकों को एक अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा दी जाय।
इस सूत्र के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य अध्ययन की संस्तुति दी गयी। इसी कारण अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी को राजभाषा का स्थान मिल गया।

आज भी उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम भी अंग्रेजी है। कोर्ट सेवाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। अतः प्रांतीय संपर्क की भाषा भी अंग्रेजी है। इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल रही और हिन्दी का स्थान गौण हो गया। इन परिस्थितियों को त्रिभाषा सूत्र में बदला जा सकता है और हिन्दी के संबंध में अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सकती है।

हिन्दी भाषा प्रदेशों में दो भाषा अनिवार्य होनी चाहिए मातृ भाषा हिन्दी और दूसरी अन्य भारतीय भाषा तीसरी भाषा विकल्प के रूप में रहेगी। द्वितीय भाषा की सूची में संस्कृत का भी स्थान होना चाहिए भाषा की शिक्षा में उसकी उपयोगिता को महत्व दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त आयोगों, समितियों तथा सलाहकार मण्डल की संस्तुतियों का विश्लेषण करके भाषा शिक्षा समस्या का व्यवहारिक समाधान आवश्यक है। भाषा शिक्षा के संबंध में व्यवहारिक सुझाव निम्नलिखित है।

(I) मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम हो और प्रथम भाषा के रूप में उसका अध्ययन अनिवार्य हो।

(II) मातृ भाषा के अतिरिक्त एक अन्य क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा अनिवार्य हो। अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य हो।

(III) अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा का अध्ययन वैकल्पिक रूप में किया जाय।

यह महत्व की बात है कि अहिन्दी भाषी प्रदेशों में अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिन्दी के प्रति सम्मान और अंग्रेजी के प्रति अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह हिन्दी के फिल्मों और विविध मनोरंजन संगीत दूरदर्शन पर धारावाहिकों के साथ हिन्दी सीखने में अधिक रुचि लेने लगे हैं।

केन्द्रिय हिन्दी संस्थान द्वारा हिन्दी शिक्षक भी अहिन्दी प्रदेशों के लिए तैयार किये जा रहे हैं। हिन्दी की कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं।

हिन्दी शिक्षकों एवं छात्रों का परम कर्तव्य होकि हिन्दी को सरस एवं व्यवहारिक रूप प्रदान करें। हिन्दी शब्दावली अधिक बोधगम्य तथा व्यवहारिक होनी चाहिए. उच्च साहित्य को हिन्दी में उपलब्ध कराया जाय। सभी विषयों के ग्रन्थ अंग्रेजी में लिखे जाते हैं. इस प्रवृत्ति को कम किया जाय।